## विशेषाधिकार समिति

242. **विशेषाधिकार के प्रश्न**- कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य अथवा सदन या उसकी समिति के विशेषाधिकार के भंग के संबंध में प्रश्न उठा सकेंगे।

243. **विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना**- विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के इच्छुक सदस्य, जिस दिन प्रश्न उठाना चाहते हों उस दिन उपवेशन के प्रारंभ के पहले, इसकी लिखित सूचना सचिव को देंगे। यदि उठाया गया प्रश्न किसी लेख्य पर आधारित हो, तो सूचना के साथ वह लेख्य भी रहेगा।

244. **विशेषाधिकार प्रश्न की ग्राह्यता की शर्त्तें**- विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्त्तों के अधीन होगा-

(i) एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न न उठाये जायेंगे;

(ii) प्रश्न हाल के किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा; तथा

(iii) उस विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

245. **विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की रीति**- (1) यदि अध्यक्ष नियम 242 के अधीन सम्मति दें और विमर्श के लिए प्रस्थापित विषय को नियमानुकूल मानें तो वे प्रश्नों के बाद

और कार्य सूची के अनुसार कार्यारम्भ होने से पहले संबद्ध सदस्य पुकारेंगे। वे सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जायेंगे और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत संक्षिप्त वक्तव्य देंगे;

परन्तु यदि अध्यक्ष ने नियम 242 के अधीन सम्मति देना अस्वीकार किया हो या उनकी राय में विमर्श के लिए प्रस्थापित विषय नियमानुकूल न हो, तो वे यदि आवश्यक समझें, विशेषाधिकार की सूचना पढ़-सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि उन्होंने सम्मति देना अस्वीकार किया है या वे मानते है, कि विशेषाधिकार प्रश्न नियमानुकूल नहीं है।

अपरंच, यदि सम्बद्ध विषस की परमावश्यकता के संबद्ध में अध्यक्ष का समाधान हो जाये, तो वे प्रश्नों कके निपटाव के बाद उपवेशन के दौरान किसी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे।

(2) यदि अनुमति देने के विरूद्ध आपति की जाए, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करेंग, जो अनुमति देने के पक्ष में हों । यदि तदनुसार कम से कम उन्नीस सदस्य खड़े हो जायें तो अध्यक्ष बतायेंगे कि अनुमति दी गई और यदि उन्नीस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष समबद्ध सदस्य को बतायेंगे कि उन्हें सदन की अनुमति नहीं मिली ।

246. **विशेषाधिकार-समिति को सौंपा जाना**- यदि नियम 245 के अधीन अनुमति दे दी जाए, तो सदन उस प्रश्न पर विचार कर सकेगा और निर्णय पर पहुंच सकेगा अथवा विशेषाधिकार-समिति को सौंप सकेगा।

247. **विशेषाधिकार-समिति का गठन**- यथास्थिति, सदन के प्रारम्भ में या समय-समय पर, अध्यक्ष एक विशेषाधिकार का भंग होता है या नहीं, और यदि होता है, तो इस भंग का स्वरूप कया है और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। समिति इस अधिक ग्यारह सदस्य रहेंगे।

247. **समिति द्वारा विशेषधिकार प्रश्न का परीक्षण**- (1) समिति ऐसे हर प्रश्न का परीक्षण करेगी जो उसे सौंपा जाय और हर मामले के तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए यह अवधारित करेगी कि उसमें विशेषाधिकार का भंग होता है या नहीं, और यदि होता है, तो इस भंग का स्वरूप क्या है और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। समिति इस संबंध में ऐसी सिफारिश करेगी जो वह ठीक समझे।

(2) प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए सदन कौन-सी प्रक्रिया अपनाये।

249. **प्रतिवेदन पर विचार**- (1) प्रतिवेदन उपस्थापित होने के बाद समिति के सभापति या उसका कोई सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि प्रतिवेदन पर विचार हो और तब अध्यक्ष सदन के सामने प्रश्न रख सकेंगे।

(2) सदन के सामने प्रश्न रखने के पहले अध्यक्ष प्रस्ताव पर वाद-विवाद की अनुज्ञा दे सकेंगे, जिसकी अवधि अधिक से अधिक आधे घंटे की होगी। ऐसे वाद-विवाद में

प्रतिवेदन के ब्योरे का निदेश उतना ही किया जायेगा जितना सदन द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किये जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिए आवश्यक हो, आगे नहीं ।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति सभापति या समिति के कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य वह प्रस्ताव कर सकेंगे कि सदन प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सहमत है या असहमत है या संशोधन के साथ सहमत है।

250. **समिति के प्रतिवेदन पर विचार के लिए अग्रता**- विशेषाधिकार-समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय-इस प्रस्ताव को वही अग्रता दी जाएगी जो नियम 245 के उपनियम (1) के अधीन विशेषाधिकार-विषय को दी जाती है बशर्ते कि इसे लाने में अनुचित विलम्ब न हुआ हो:

परन्तु यदि प्रतिवेदन पर विचार के लिए तिथि नियत की जा चुकी हो तो उसे इस प्रकार नियत तिथि को विशेषाधिकार विषय के रूप में अग्रता दी जाएगी।

251. **प्रक्रिया का विनियमन**- अध्यक्ष ऐसा निदेश निकाल सकेंगे जो समिति या सदन में विशेषाधिकार प्रश्न के विचार से संबंधित सभी विषयों की प्रक्रिया विनियमित करने के लिए आवश्यक हो।

252. **विशेषाधिकार-प्रश्न समिति को सौंपने की अध्यक्ष की शक्ति**- इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष विशेषाधिकार का कोई प्रश्न विशेषाधिकार समिति के परीक्षण, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिए सौंप सकेंगे।

253. **सुपुर्दगी न्यायाधीश, दंडाधिकारी अथवा कार्यपालक या अन्य प्राधिकारी द्वारा अध्यक्ष को किन्हीं सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध आदि कि सूचना का दिया जाना**- जब किन्हीं सदस्य को किसी अपराधिक आरोप पर या किसी अपराध (फौजदारी जुर्म) के लिए गिरफ्तार किया जाए अथवा न्यायालय द्वारा कारावास (कैद) का दंडादेश दिया जाय अथवा कार्यपालक आदेश के अधीन निरूद्ध किया जाए तथा यथास्थिति; सुपुर्दगी न्यायाधीश, दंडाधिकारी या कार्यपालक प्राधिकारी अथवा गिरफ्तार करनेवाले व्यक्ति अध्यक्ष को तुरन्त इस बात की सूचना देंगे और यथास्थिति, उन सदस्य की गिरफ्तारी निरोध या दोषसिद्ध के कारण और निराध या कारावास (कैद) का स्थान प्रथम अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र पर बतायेंगे।

254. **अध्यक्ष को सदस्य के छुटकारे की सूचना**- जब कोई सदस्य गिरफ्तार किये जायें और दोष सिद्धि के बाद अपील पर्यन्त छोड़ दिये जायें या अन्यथा जमानत पर छोड़ दिए जाएं, तब संबद्ध प्राधिकारी अध्यक्ष को इस बात की भी जानकारी प्रथम अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र पर देंगे।

255. **दंडाधिकारी से प्राप्त संसूचनाओं पर कार्रवाई**- नियम 253 या नियम 254 में निर्दिष्ट संसूचना पाने के बाद यथाशीघ्र अध्यक्ष, यदि सभा का सत्र चालू हो तो उसे सभा में पढ़ सुनायेंगे और यदि सभा का सत्र चालू हो सत्र न हो; तो निदेश देंगे कि वह सदस्यों की जानकारी के लिए विवरणिका (बुलेटिन) में प्रकाशित की जाए।

परन्तु यदि जमानत पर या अपील के बाद उन्मुक्त सदस्य के छुटकारे की सूचना, सभा को उस सदस्य की मूल गिरफ्तारी की सूचना दी जाने से पहले ही मिल जाए, तो उनकी गिरफ्तारी या बाद में छुटकारे या उन्मुक्ति की सूचना अध्यक्ष सभा न भी दे सकेंगे।

256. **सदन की परिसीमाओं में गिरफ्तारी**- सभा की प्रसीमाओं में अध्यक्ष की अनुज्ञा किए बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।

257. **वैध आवेशिका**- सभा की प्रसीमाओं में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी व्यावहारिक अथवा आपराधिक वैध-आदेशिका तामील नहीं की जाएगी।

बिहार विधान-सभा

# विशेषाधिकार समिति

की

# आन्तरिक कार्य-प्रणाली संबंधी

# नियमावली

बिहार विधान-सभा सचिवालय
पटना

दिनांक २ मई १९७२
तिथि १२ वैशाख, शक सम्वत् १८९४

## विशेषाधिकार समिति की आन्तरिक कार्य-प्रणाली सम्बन्धी नियम।

| | |
|---|---|
| 1. समिति को निर्दिष्ट विशेषाधिकार प्रश्नों की जांच। | जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो उस विषय पर सभा-सचिवालय द्वारा एक संलेख समिति के विचारार्थ तैयार किया जायेगा। इस संलेख में मामले के तथ्य, उसमें निहित विशेषाधिकार के प्रश्न और उसमें सम्बन्धित संसदीय परम्परा और पूर्वज का संक्षेप में उल्लेख रहेगा। |
| 2. बैठक की सूचना तथा कार्य-सूची का परिचारण। | जब बैठक की तिथि तथा समय निश्चित हो जाय तो कार्य-सूची के साथ उसकी सूचना समिति के सदस्यों को परिचारित की जायगी। |
| 3. समिति को परिचारित पत्र गोपनीय समझे जायेंगे। | समिति को परिचारित किये जानेवाले कागजात पर "गोपनीय" लिखा जायगा तथा वे कागजात गोपनीय समझे जायेंगे। उनमें उल्लिखित कोई विषय सभापति की अनुमति के बिना किसी को प्रकट नहीं किया जायगा। |
| 4. बैठक का कार्यवृत्त .. | सचिवालय, सभापति अथवा बैठक का सभापतित्व करनेवाले सदस्य के, जैसी भी स्थिति हो, अनुमोदन हेतु समिति की बैठक का कार्यवृत्त तैयार करेगा। |
| 5. कार्यवृत्त में साक्ष्य का उल्लेख | समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का कार्यवृत्त में उल्लेख रहेगा। |
| 6. कार्यवृत्त का परिचालन .. | समिति की प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त समिति के सदस्यों को परिचारित किया जायेगा। |
| 7. समिति का प्रतिवेदन .. | सचिवालय समिति के प्रतिवेदन का प्रारूप, जिसमें उसकी सिफारिशें भी होंगी, तैयार करेगा। यह प्रारूप सभापति के अनुमोदन के पश्चात् समिति के समक्ष रखा जायेगा। |

8. प्रतिवेदन के साथ कार्यवृत्तों का संलग्न किया जाना। समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और ऐसे अन्य साक्ष्य, जो समिति निर्देशित करे, समिति के प्रतिवेदन के साथ सलग्न किये जायेंग।

9. प्रतिवेदन का उपस्थापन .. (1) जब विशेषाधिकार का प्रश्न सदन द्वारा समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो समिति का प्रतिवेदन सभापति या उनकी अनुपस्थिति म समिति के किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन मे उपस्थित किया जायेगा।

(2) जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अध्यक्ष द्वारा समिति को बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम 252 के अन्तगत निर्दिष्ट किया जाय तो समिति का प्रतिवेदन अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा, जो उस पर अन्तिम निर्णय देंगे या निर्देश देंगे कि वह सदन की मेज पर रखा जाय।

10. प्रतिवेदन का परिचारण . प्रतिवेदन को सदन में उपस्थापन होन या सदन की मेज पर रखे जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उसकी प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को परिचारित कर दी जायेंगी।

(विशेषाधिकार के प्रश्न तथा विशेषाधिकार समिति से सम्बन्धित विधान-सभा नियमावली के नियम।)

242. विशेषाधिकार के प्रश्न--कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से किसी सदस्य अथवा सदन या उसकी समिति के विशेषाधिकार के भंग के सम्बन्ध में प्रश्न उठा सकेंगे।

243. विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना--विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के इच्छुक सदस्य जिस दिन प्रश्न उठाना चाहते हों उस दिन उपवेशन के प्रारम्भ के पहले इसकी लिखित सूचना सचिव को देंगे। यदि उठाया गया प्रश्न किसी लेख्य पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह लेख्य भी रहेगा।

244. विशेषाधिकार प्रश्न की ग्राह्यता की शर्तें--विशेषाधिकार प्रश्न उठाने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :--

(*i*) एक उपवेशन में एक से अधिक प्रश्न न उठाये जायेंगे,
(*ii*) प्रश्न हाल के किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, तथा
(*iii*) उस विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित हो।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

245. विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की रीति—(1) यदि अध्यक्ष नियम 242 के अधीन सम्मति दें और विमर्श के लिये प्रस्थापित विषय को नियमानुकूल मानें तो वे प्रश्नों के बाद और कार्य-सूची के अनुसार कार्यारम्भ होने से पहले संबद्ध सदस्य को पुकारेंगे। वे सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो जावेंगे और विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति मांगते हुए उससे संगत संक्षिप्त वक्तव्य देंगे :

परन्तु यदि अध्यक्ष ने नियम 242 के अधीन सम्मति देना अस्वीकार किया हो या उनकी राय में विमर्श के लिये प्रस्थापित विषय नियमानुकूल न हो, तो वे यदि आवश्यक समझें, विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना पढ़ सुना सकेंगे और कह सकेंगे कि उन्होंने सम्मति देना अस्वीकार किया है या वे मानते हैं कि विशेषाधिकार प्रश्न नियमानुकूल नहीं है :

अपरंच यदि संबद्ध विषय की परमावश्यकता के सम्बन्ध में अध्यक्ष का समाधान हो जाय तो वे प्रश्नों के निबटाव के बाद उपवेशन के दौरान किसी समय विशेषाधिकार प्रश्न उठाने की अनुमति दे सकेंगे।

(2) यदि अनुमति देने के विरुद्ध आपत्ति की जाय, तो अध्यक्ष उन सदस्यों से अपने-अपने स्थान पर खड़े होने का अनुरोध करेंगे, जो अनुमति देने के पक्ष में हों। यदि तदनुसार कम-से-कम पच्चीस सदस्य खड़े हो जायं, तो अध्यक्ष बतायेंगे कि अनुमति दी गयी, और यदि पच्चीस से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष संबद्ध सदस्य को बतायेंगे कि उन्हें सदन की अनुमति नहीं मिली।

Optimized by www.ImageOptimizer.net

246. विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना--यदि नियम 245 के अधीन अनुमति दे दी जाय, तो सदन उस प्रश्न पर विचार कर सकेगा और निर्णय पर पहुंच सकेगा अथवा विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य या किसी अन्य सदस्य के प्रस्ताव पर इसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगा।

247. विशेषाधिकार समिति का गठन--यथास्थिति, सदन के प्रारम्भ में या समय-समय पर अध्यक्ष एक विशेषाधिकार-समिति मनोनीत करेंगे जिसमें अधिक-से-अधिक ग्यारह सदस्य रहेंगे।

248. समिति द्वारा विशेषाधिकार प्रश्न का परीक्षण--(1) समिति ऐसे हर प्रश्न का परीक्षण करेगी जो उसे सौंपा जाय और हर मामले में तथ्य को दृष्टि में रखते हुए यह अवधारित करेगी कि उसमें विशेषाधिकार का भंग होता है या नहीं और यदि होता है, तो इस भंग का स्वरूप क्या है, और किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है। समिति इस सम्बन्ध में ऐसी सिफारिशें करेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) प्रतिवेदन में यह भी बताया जा सकेगा कि समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिये सदन कौन-सी प्रक्रिया अपनावे।

249. प्रतिवेदन पर विचार--(1) प्रतिवेदन उपस्थापित होने के बाद समिति के सभापति या उसके कोई सदस्य अथवा कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि प्रतिवेदन पर विचार हो और तब अध्यक्ष सदन के सामने प्रश्न रख सकेंगे।

(2) सदन के सामने प्रश्न रखने से पहले अध्यक्ष प्रस्ताव कर वाद-विवाद की अनुज्ञा दे सकेंगे, जिसकी अवधि अधिक-से-अधिक आधे घंटे की होगी। ऐसे वाद-विवाद में प्रतिवेदन के ब्यौरे का निर्देश उतना ही किया जायगा जितना सदन द्वारा प्रतिवेदन पर विचार किये जाने का औचित्य सिद्ध करने के लिये आवश्यक हो, आगे नहीं।

(3) उप-नियम (1) के अधीन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद, यथास्थिति, सभापति या समिति के कोई सदस्य या कोई अन्य सदस्य प्रस्ताव कर सकेंगे कि सदन प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सहमत है या असहमत है या संशोधनों के साथ सहमत है।

250. समिति के प्रतिवेदन पर विचार की अग्रता--विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय इस प्रस्ताव को वही अग्रता दी जायगी, जो नियम 245 के उप-नियम (1) के अधीन विशेषाधिकार विषय को दी जाती है बशर्ते कि इसे लाने में अनुचित विलम्ब न हुआ हो:

परन्तु यदि प्रतिवेदन पर विचार के लिये तिथि नियत की जा चुकी है, तो उसे इस प्रकार नियत तिथि को विशेषाधिकार विषय के रूप में अग्रता दी जायगी।

251. प्रक्रिया का विनियमन--अध्यक्ष ऐसा निदेश निकाल सकेंगे जो समिति या सदन में विशेषाधिकार प्रश्न के विचार से सम्बन्धित सभी विषयों की प्रक्रिया विनियमित करने के लिये आवश्यक हो।

252. विशेषाधिकार प्रश्न समिति को सौपने की अध्यक्ष की शक्ति--इस नियमावली में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष विशेषाधिकार का कोई प्रश्न विशेषाधिकार समिति को परीक्षण, अनुसंधान या प्रतिवेदन के लिये सौप सकेंगे।

253. सुपुर्दगी न्यायाधीश, दंडाधिकारी अथवा कार्यपालक या अन्य प्राधिकारी द्वारा अध्यक्ष को किन्हीं सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध आदि की सूचना का दिया जाना--जब किन्हीं सदस्य को किसी आपराधिक आरोप पर या किसी अपराध (फौजदारी जुर्म) के लिये गिरफ्तार किया जाय अथवा न्यायालय द्वारा कारावास (कैद) का दंडादेश दिया जाय अथवा कार्यपालक आदेश के अधीन निरुद्ध किया जाय, तब यथास्थिति सुपुर्दगी न्यायाधीश, दंडाधिकारी या कार्यपालक प्राधिकारी अथवा गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति अध्यक्ष को तुरत इस बात की सूचना देंगे और यथास्थिति उस सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध या दोषसिद्धि के कारण और निरोध या कारावास (कैद) का स्थान प्रथम अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र पर बतायेंगे।

254. अध्यक्ष को सदस्य के छुटकारे की सूचना--जब कोई सदस्य गिरफ्तार किये जायं और दोषसिद्धि के बाद अपीलपर्यन्त छोड़ दिये जायं, या अन्यथा जमानत पर छोड़ दिये जायं, तब सम्बद्ध प्राधिकारी अध्यक्ष को इस बात की भी जानकारी प्रथम अनुसूची में दिये गये समुचित प्रपत्र पर देंगे।

255. दंडाधिकारी से प्राप्त सूचनाओं पर कार्रवाई--नियम 253 या नियम 254 में निर्दिष्ट सूचना पाने के बाद, यथाशीघ्र अध्यक्ष यदि सभा का सत्र चालू हो तो उसे सभा में पढ़ सुनायेंगे, और यदि सभा का सत्र चालू न हो, तो निदेश देंगे कि वह सदस्यों की जानकारी के लिये विवरणिका (बुलेटिन) में प्रकाशित की जाय :

परन्तु यदि जमानत पर या अपील कर बाद उन्मुक्त सदस्य के छुटकारे की सूचना सभा को उस सदस्य की मूल गिरफ्तारी की सूचना दी जाने से पहले ही मिल जाय तो उनकी गिरफ्तारी या बाद में छुटकारे या उन्मुक्ति की सूचना अध्यक्ष सभा को न भी दे सकेंगे।

256. सदन की प्रसीमाओं में गिरफ्तारी--सभा की प्रसीमा में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जायगी।

257. बंध आदेशिका--सभा की प्रसीमाओं में अध्यक्ष की अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी व्यावहारिक अथवा आपराधिक बंध आदेशिका समोन नहीं की जायेगी।